07/6/41

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

• सत्यनारायण पुत्र मोहन जाति दमामी आयु लगभग 53 साल निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज । —प्रार्थी

बनाम

• सूरज्ञान पत्नी हरिप्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य —अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— धारा 136 भू.राज.अधि. 1956

नंबर 76 /2023

ऑनलाइन नंबर 2023 / ...140...

वकील प्रार्थी :— भवानी सिंह

वकील अप्रार्थीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.08.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह ने अन्तर्गत धारा 136 भू राज. अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली 01.09.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
01/9/2023.	पत्रावली पेश हुई आज... [illegible] .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/9/2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
15/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक ...29/9/23... को पेश हो।	
29/9/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / [illegible]......हेतु समय चाहा/वास्ते......[illegible]... पत्रावली दिनांक. 12/10/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	

[illegible]रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। अपील 2,3 A ता० मौका रिपोर्ट प्राप्त हो। P.O. महोदय दूसरे कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर रहे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.............. दिनांक 8.8.25 को पेश हो।	
8/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. इन्तजार मौका रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो WB उपखण्ड अधिकारी अरांई	
22.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। मौका रिपोर्ट प्राप्त। अवलोकन किया [illegible] गया। वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार किया जाता है। निर्णय पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल [illegible] हो। WB	मौका रिपोर्ट प्राप्त

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 56/2023

अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

सत्यनारायण पुत्र मोहन जाति दमामी आयु लगभग 53 वर्ष निवासी ग्राम माला तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान

— प्रार्थी

विरूद्ध

1. सुरज्ञान पत्नी हरिप्रसाद जाति जाट निवासिन ग्राम माला तहसील अंराई जिला अजमेर
2. दयाल पुत्र मोहन जाति दमामी निवासी ग्राम् माला तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान
3. सुप्यार पुत्री मोहन पत्नी सुजा राम कौम मामी निवासिन ग्राम माला तहसील अंराई जिला अजमेर हाल निवासी गुरू नगर, भालेलाव रोड, पाली राजस्थान
4. गीता पत्नी स्व. श्री रामप्रसाद जाति दमामी निवासिन ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान
5. कंचन पुत्री मोहन जाति दमामी निवासिन ग्राभ् माला तहसील अंराई जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंराई

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

निर्णय दिनांक 22/8/25

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री भवानीसिंह राठौड एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी के पिता मोहन पुत्र काना जाति दमामी के भूमि एकीकरण खसरा संख्या 96 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा खसरा संख्या 376 रकबा 07 बीघा 02, खसरा संख्या 383 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा इस प्रकार कुल 20 बीघा 12 बिस्वा के अलोटी होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे। भूमि एकीकरण की जमाबन्दी, फर्द दस्तावेज में प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 मे वर्णित भूमि के एकीकरण पश्चात भू प्रबन्ध मे नवीन खसरा संख्या निम्न अनुसार कायम किये गये जिसका मिलना क्षेत्रफल फर्द दस्तावेज मे प्रस्तुत है :–

साबिक		वर्तमान	
खसरा नं	क्षेत्रफल	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
96	07–09–00	179	07–09–00
376	07–02–00	470	07–02–00
383	06–01–00	539	06–01–00

3. उपरोक्त भूमि की वर्किंग जमाबन्दी मे बिना किसी आदेश के प्रार्थी के पिता का नाम मोहन के स्थान पर मोहना एवं दमामी शब्द के पश्चात (ढोली) शब्द का अशुद्ध अंकन किया गया यद्यपि उपरोक्त वर्किंग जमाबन्दी मे अंकित नामान्तरकरण संख्या 296 दिनांक 26.06.1934 को निम्न सही प्रविष्टि की गई–"मोहन वल्द काना दमामी को गैर खातेदार गे 20–12–00 के रकबे पर खातेदार का इन्द्राज किया गया।" प्रार्थी के पिता मोहन का देहावसान होने के पश्चात के पश्चात उनके विधिक वारिसान के नाम निम्न अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया "गीता बैवा रामप्रसाद, रामनिवास, दयाल, सत्यनारायण पि. मोहन, सुप्यार, कंचन पुत्रिया मोहन कौम दमामी आदि के नाम दर्ज किया गया" तथा उक्त नामान्तरकरण मे जाति दमामी ही दर्ज है।राजस्व अधिकारियो द्वारा उपरोक्त प्राथी के पिता मोहन पुत्र काना के एकीकरण मे दर्ज जाति दमामी के पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड मे सहवन से अथवा लिपिकिय अशुद्धि से दमामी के आगे (ढोली) जाति दर्ज की गई जिसके बाबत उपरोक्त प्रार्थी की बहिन सुप्यार द्वारा शुद्धि के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था एवं माननीय न्यायालय द्वारा उक्त

...ना पत्र प्रशानिक कार्यवाही के दृष्टिकोण से तहसीलदार अंराई को दिनांक 12.09.2022 को सप्रे ...किया था जिस पर तहसीलदार अंराई द्वारा भू अभिलेख अधिकारी एवं पटवारी हल्का से जांच ...जाने बाबत रिर्पोट प्राप्त की तो उन्होने दिनांक 08.05.2023 को स्पष्टतः निम्न आशय की रिर्पोट ...दी है :—श्रीमान् जी ग्राम माला के खाता संख्या 268 मे खातेदारो की जाति दमःमी (होली) दर्ज है प्रार्थी के पिता की जाति एकीकरण जमाबन्दी खाता संख्या 152 कुल किता 03 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा पः दमामी दर्ज है जबकि वर्किंग जमाबन्दी मे दमामी (ढोली) दर्ज हुई जिसवं बाद की समस्त जमाबन्दीयां दमामी (ढोली) दर्ज चली आ रही है अतः जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2019 मे ग्राम माला के वर्तमान खाता संख्या 268 मे दमामी (ढोली) के स्थान दमामी किया जाने हेतु रिर्पोट सादर प्रस्तुत है।" तथा उक्त पश्चात तहसीलदार अंराई महोदय ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उपरोक्त अनुतोष बाबत निर्देशित किया गया।यह तथ्य **Rajasthan Land Records Role** एवं अन्य विधिक प्रावधानो मे सुस्थापित है कि **"Old Entry to be repe sted in new records"** तथा उक्त बिन्दू वैसे पूर्व मे तहसीलदार अंराई दिनांक 17.06.2015 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में अप्रर्थी संख्या 1 सुरज्ञान पत्नी हरिप्रसाद के नाम नामान्तरकरण दर्ज करते समय अभनिर्धारित कर चुके थे कि राजस्व रिकार्ड मे दमामी जाति के पश्चात (ढोली) शब्द गलत अंकित किया गया है। प्रार्थी एवं उपरोक्त प्रार्थी के अन्य परिवारजन मोहन पुत्र काना के वंशावली के सदस्यो के जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछडा वर्ग जाति ने ही बने हुए है। दमामी जाति अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी वर्ग) मे आते है।उपरोक्त भूमि के सहखातेदार रामनिवास का नाऔलाद इन्तकाल हो चुका है तथा उसके विधिक वारिसान प्रार्थी सहित अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फराया जाकर उपरोक्त ग्राम माला के खसरा संख्या 96 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा खसरा संख्या 376 रकबा 07 बीघा 02, खसरा संख्या 383 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा इस प्रकार कुल 20 बीघा 12 बिस्वा मे प्रार्थी वो जाति दमामी के आगे (ढोली) शब्द जो त्रुटीयुक्त रूप से अंकित किया गया है को विलोपित किये जाने के बाबत आदेश पारित कर राजस्व रिकार्ड मे शुद्धिकरण का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रकरण को दिनांक 23.8.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगणो सम्मन नोटिस जारी किए गए । दिनांक 7.6.2024 को अप्रार्थीगणो के तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए ।दिनांक 18.8.2025 को पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ ।
पेरोकार सरकार तहसीदार अराई का जवाब व मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पेरोकार सरकार के जवाबअनुसार प्रार्थी के पिता मोहन पुत्र काना दमामी को ग्राम माला में खसरा नं.96,376,383 का खतौनी एकीकरण जमाबन्दी में उक्त खसरान का आवंटन हुआ जिसमें नाम मोहन पुत्र काना दमामी दर्ज था। ख.न.96,376,383 का मिलान क्षेत्रफल संलग्न है जिसमें नवीन खसरा नं. 179,470,539 दर्ज है। उपरोक्त भूमि की एकीकरण जमाबन्दी में मोहन वल्द काना कौम दमामी को आवंटित हुई तथा ग्राम माला के नामा.सं. 296 स्वीकृत दिनांक 26/06/1984 को मोहन वल्द काना कौम दमामी की गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई। वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 में मोहन पुत्र काना दमामी ढोली का अंकन दर्ज है। उक्त वर्किंग जमाबन्दी में नामा.सं. 296 दिनांक 26/06/1984 गैर खातेदारी से खातेदारी मोहन पुत्र काना दमामी नोट दर्ज ळें प्रार्थी के पिता मोहन वल्द काना के फौत होने पर नामा.सं.710 दिनांक द्वारा कृषि भूमि विधिक वारिसानों गीता बैवा रामप्रसाद, रामनिवास, दयाल, सत्यनारायण पि. मोहन तथा कंचन, सुप्यार पुत्रियां मोहन कौम दमामी सा. देह दर्ज है। उपरोक्त भूमि का सहखातेदार रामनिवास पुत्र मोहन दमामी के फौत होने के बाद उसके विधिक वारिसान प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 मृतक के भाई बहिन है। तहसीलदार अराई की जांच रिपोर्ट अनुसार दस्तावेज मय नक्शा प्रति रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब व अनुशंषा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जायेगी। राजस्व रिकार्ड में वाद अधीन ग्राम माला के खसरा

संख्या 96 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा खसरा संख्या 376 रकबा 07 बीघा 02, खसरा संख्या 383 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा इस प्रकार कुल 20 बीघा 12 बिस्वा मे प्रार्थी वो जाति दमामी के आगे (ढोली) शब्द जो त्रुटीयुक्त रूप से अंकित किया गया है को विलोपित किये जाने के के आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि इन्द्राज की दुरूस्ती करने पर वर्तमान जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)